yz-c 1 24

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सहारनपुर में आउट सोर्सिग (सेवा प्रदाता) के माध्यम से ठेका प्रणाली के आधार पर निरन्तर रूप से चलने वाले विभिन्न वानिकी एवं तत्सबंधी कार्यो के सम्पादन हेतु वयस्क, स्वस्थ, वानिकी कार्यो एवं साइकिल चलाने में दक्ष श्रमिको की निम्न कार्यो के लिए सेवायें लिये जाने हेतु पारिश्रमिक दरों को प्राप्त करने हेतु **दिनॉक 30.8.2016 की अपरान्ह 2.00 बजे तक मोहरबन्द/सील्ड निविदायें रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट** द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ए–273 न्यू आवास विकास, निकट बलवान डेरी, सहारनपुर पर आमंत्रित की जाती है । निविदा उसी दिन के 4.00 बजे अपरान्ह में सक्षम अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। इच्छुक निविदादाता निविदा फार्म इस कार्यालय से **किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दिनांक 27.8.2016 तक निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते है।**

क0 सं0	कार्य का विवरण	श्रमिकों की अनुमानित संख्या	बन्धक धनराशि रूपये	अनुमानित कार्य अवधि	कार्य स्थल
1	2	3	4	5	6
1	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक वर्ष 2016 वृक्षारोपण की सुरक्षार्थ	10	5000.0	माह सितम्बर–2016 से मार्च 2017 तक	सामाजिक वानिकी प्रभाग सहारनपुर की सहारनपुर,नकुड,बेहट, देवबन्द व रामपुर मनि0 रेजों हेतु
2	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक वर्ष 2015 वृक्षारोपण की सुरक्षार्थ	5		माह सितम्बर–2016 से मार्च 2017 तक	
3	दैनिक कैम्प खलासी	3		माह सितम्बर–2016 से मार्च 2017 तक	
4	सफाई कर्मी	2		माह सितम्बर–2016 से मार्च 2017 तक	

<u>टेण्डर की शर्ते निम्नानुसार है :–</u>

1. निविदादाता की फर्म/संस्था/एजेन्सी का श्रम विभाग/अन्य संबन्धित राजकीय विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
2. सशर्त निविदायें कदापि स्वीकार नहीं की जायेगी ।
3. सेवा प्रदाता को निविदा के साथ बन्धक/जमानत धनराशि संलग्न करनी अनिवार्य होगी, जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से बन्धक हो, बिना जमानत धनराशि के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
4. सेवा प्रदाता को व्यस्क, स्वस्थ, साइकिल चलाने में दक्ष तथा वानिकी कार्यो में निपुण श्रमिक उपलब्ध कराने होगें। प्रत्येक श्रमिक के पास साइकिल होना अनिवार्य है।
5. समस्त करों का भुगतान निविदादाता/सेवा प्रदाता को स्वयं करना होगी । पारिश्रमिक के भुगतान के समय भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कर लागू/देय होगें, उनकी कटौती निविदाता के भुगतान से काट कर विभाग द्वारा तत्संबंधी लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी।
6. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले दैनिक श्रमिकों की पारिश्रमिक की दरें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू वर्तमान दर रूपये 174.00 प्रतिदिन (समस्त करों सहित) अधिकतम होगी। रूपये 174.00 प्रतिदिन से अधिक पारिश्रमिक दर की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदादाता को रूपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर तैयार अनुबन्ध–पत्र पर हस्ताक्षर करने होगें।
8. निविदादाता को निविदा के साथ अपनी फर्म का श्रम विभाग में पंजीकरण एवं आयकर पैन नम्बर की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
9. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी टैण्डर को स्वीकृत /अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
10. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
11. यदि टेण्डर खुलने के दिनांक को अवकाश होता है, तो अगले कार्य दिवस पर टैण्डर खोला जायेगा।
12. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक किसी भी अपराध/वन एवं वन्य जीव संबंधी अपराध/असामाजिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होने चाहिए।
13. सेवा प्रदाता द्वारा दी गई न्यूनतम दरें अनुमोदित होने के पश्चात **दिनॉक 31.3.2017 तक मान्य** रहेगी।
14. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सभी श्रमिकों को अपने फर्म/संस्था की तरफ से फोटोयुक्त परिचय–पत्र एवं आवश्यक हुआ तो यूनिफार्म भी उपलब्ध कराना होगा।
15. उपरोक्त श्रमिकों की संख्या व कार्य अवधि/माहों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई एवं बढाई जा सकती है।
16. अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी समय किसी भी पूर्व सूचना के श्रमिकों को कार्य से पृथक किया जा सकता है।
17. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक द्वारा वनविभाग में सभायोजित किये जाने का किसी प्रकार का दावा नहीं किया जायेगा।

क्रमशः 2 पर